(ग) विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के लिए समायोजन को ध्यान में रखते हुए उक्त उत्पादन में से लेवी चीनी की कुल मात्रा 31.68 लाख टन बनती है इसके अतिरिक्त 1993-94 मौसम की खुली बिक्री चीनी की 2.50 लाख टन मात्रा ऋण के रूप में धरपाई आधार पर लेवी चीनी में बदल दी गई है।

(घ) 18 अक्तूबर, 1993 को पिछले मौसम के स्टाक में बची हुई चीनी की कुल मात्रा 31.13 लाख टन (अनंतिम) होने का अनुमान है जिसमें से लेवी चीनी 7.49 लाख टन (अनंतिम) होने का अनुमान है।

(ङ) पिराई मौसम, 1993-94 के दौरान बिक्री के लिए लेवी चीनी की कुल 42.10 लाख टन मात्रा रिलीज की गई जिसमें 1 लाख टन की आयातित चीनी भी शामिल है।

चीनी उद्योग से एकत्र किया गया कर और उपकर

576. **श्री राम जेठमलानी** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चीनी उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर सरकार द्वारा कर और उपकर एकत्र किए जाते

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा एकत्र किए गए करों और उपकर का ब्यौरा क्या है और उनकी अलग-अलग दर क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार से एकत्र की गई धनराशि का एक भाग गन्ने की पैदावार बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए व्यय किया जाता है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय): (क) और (ख) जी, नहीं। चीनी उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में कर और उपकर एकत्रित नहीं किए जाते हैं। लेकिन चीनी फैक्ट्रियों द्वारा चीनी की सुपुर्दगी के समय उत्पाद शुल्क और उपकर लिए जाते हैं। इस समय, खुली बिक्री की चीनी पर 71.00 रुपए प्रति क्विंटल और लेवी चीनी पर 38.00 रुपए प्रति क्विंटल के अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क सहित उत्पाद-शुल्क लगाया जा रहा है। इसके अलावा, 14.00 रुपए प्रति क्विंटल का उपकर भी लगाया जा रहा है। उत्पाद-शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क एकत्रण के ब्यौरे इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, एकत्रित किए गए उपकर के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	एकत्र की गई राशि	चीनी विकास निधि को अन्तरित राशि
1991-92	161.36	120
1992-93	168.71	120
1993-94	157.64	200

(ग) जी, हां। चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 में यह व्यवस्था है कि चीनी उपकर अधिनियम, 1982 के अधीन लगाए गए और एकत्र किए गए उत्पाद-शुल्क की राशि में से केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा-निश्चित एकत्रण लागत घटाकर शेष राशि तथा इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु प्राप्त कोई भी धनराशि संसद द्वारा विधिवत निर्धारित विनियोजन करने के बाद चीनी विकास निधि में जमा की जाएगी। इस प्रकार एकत्र किए गए उपकर की राशि का कुछ भाग संसद द्वारा विधिवत निर्धारित विनियोजन करने के बाद चीनी विकास निधि में जमा करा दिया जाता है और इस निधि का अन्य प्रयोजनों के साथ-साथ चीनी फैक्ट्रियों जिस क्षेत्र में चीनी फैक्ट्री स्थित है उसमें गन्ने का विकास करने के लिए योजनायें आरम्भ करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।